पत्रांक 339/

कार्यालय अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

4

प्रेषक,

प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

विशेष पदाधिकारी,
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर।

राँची, दिनांक 12/10/12

प्रसंगः– आपका पत्रांक–465 दिनांक–04.04.2012

विषयः– श्री मुकेश कुमार GPA Holder द्वारा खाता नं0–288, 280, 287 (पुराना), 563 (नया), वार्ड नं0–10, मौजा–बालीगुमा, प्लॉट नं0–561, 563, 564, 565 एवं 316 (पुराना), 457a, b, (नया), थाना नं0–1150 मानगो, जमशेदपुर, में बहुमंजिली भवन निर्माण में अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होने वाले बहुमंजिली भवन में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में 50,000 ली0 क्षमता का एक अन्डरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. भवन के ऊपर 20,000 ली0 क्षमता का एक अदद ओभर हेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. 1650 ली0 / मि0 क्षमता वाला एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जो पूरे सिस्टम में जलापूर्ति कर सके।
5. भवन के उपर 450 ली0 / मि0 क्षमता वाला एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
6. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्पिंग व्यवस्था रखी जाय।
7. भवन में एक अदद फायर लिफ्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता 540 के0जी0 से कम न हो।
8. सीढ़ीयो को Enclosed staircase के रूप में निर्मित किये जायें।
9. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट के लिये एक की दर से एक–एक अदद DCP Extinguisher 10 kg. रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
10. प्रस्तावित भवन की Wiring व्यवस्था किसी अनुभवी Electrician से ही कराया जाय एवं जगह–जगह MCB का प्रयोग किया जाय।
11. भवन के सभी बालकोनी को पूर्णतः खुला रखने की व्यवस्था की जाय।
12. किसी भी सेटबेक एरिया को किसी भी परिस्थिति में बाधित न किया जाय।
13. भवन में तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाय।
14. भवन में निवास करने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard & Soft Copy में) इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेगें।
15. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेगें।
16. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.6 एवं 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।
17. प्लान की प्रतियॉ सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0 :– Drawing (03 Nos.)

विश्वासभाजन

12/10/12

प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।